न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 28/2016 (वाद)
दायर दिनांक – 18/03/2016
निर्णय दिनांक – 05/03/2020

अनवान

1. मांगु पिता चुन्नीलाल भील निवासी तकरिया का गुडा तहसील नाथद्वारा
2. मोहन पिता चुन्नीलाल भील निवासी तकरिया का गुडा तहसील नाथद्वारा
3. लेहरू पिता चुन्नीलाल भील निवासी तकरिया का गुडा तहसील नाथद्वारा
4. चमना पिता चुन्नीलाल भील निवासी तकरिया का गुडा तहसील नाथद्वारा

वादीगण

बनाम

1 मांगु पिता कालु भील (मृतक) निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा
2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा

: : निर्णय : :

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम खटुकडा में आराजी संख्या 1142, 1143, 1144, 1145 कुल किता 04 कुल रकबा 03–07 बिघा स्थित है। वादपत्र की चरण कमांक 02 मे वर्णित सजरा में भेरा के तीन लडके थे हेमा, कालु, उंकार, जिनमें हेमा की मृत्यु बिना संतान के हो चुकी है एवं दुसरा पुत्र कालु की भी मृत्यु हो चुकी है। कालु के पुत्र मांगु खां जिसकी मृत्यु भी माह अप्रेंल 2013 में हो चुकी है। उंकार जी मृत्यु आज से 12 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं उंकार के पुत्र चुन्नीलाल की मृत्यु 07 वर्ष पूर्व हो चुकी है। चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी वादीगण है। जो ग्राम तकरियागुडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में निवास करते है मांगु पिता कालु वादीगण के बडे पितामह कालु का पुत्र है एवं मांगु के भी कोई उत्तराधिकारीगण नही है। मांगु के कोई उत्तराधिकारीगण प्रथम अनुसुचि में न होने के कारण मांगु की खाते की वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीगण हो

चुके है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत चराणा द्वारा भी मांगु पिता कालु की मृत्यु दिनांक 12.04.2013 को ग्राम खटुकडा में होने का प्रमाण पत्र दिया गया किन्तु मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नही होना प्रतीत किया गया। इस संदर्भ में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 02 के यहां भी आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नही हुई प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा यह बताया गया कि इस संदर्भ में सक्षम न्यायालय ने कार्यवाही कराकर अनुतोष प्राप्त करे। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा घोषणात्मक अनुतोष न्यायालय आप से प्राप्त कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिये गये जिससे वाद न्यायालय आप में अन्दर अवधि दो वर्ष मृत्यु दिनांक से प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है ग्राम पंचायत चराणा के ,द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन किसी कानुनी आपत्ति के संभावनावश अथवा उक्त प्रमाण पत्र दुरभी संधि से प्राप्त कर लिया गया हो इस तथ्य का खण्डन करने के लिये एवं न्यायालय से संतुष्टी के लिये प्रतिवादी संख्या 01 को मृतक होने के उपरान्त भी उसे पक्षकार बनाया गया है ताकि तामीली रिपोर्ट से भी न्यायालय के समक्ष यह प्रकट हो सके कि मांगु पिता कालु की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण की ओर से उक्त वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषण के लिये घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योकि कोई भी भूमियां अबेन्स में नही रह सकती है। एंव यदि प्रतिवादी संख्या 01 के कोई उत्तराधिकारी हो तो इस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 02 भी विस्तुत जांच कराकर अपनी रिपोर्ट के साथ जवाबदेही कर सके। इस कारण न्याय का सरलता, सुगमता पूर्वक विनिश्चय के लिये राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है अन्यथा प्रतिवादी संख्या संख्या 02 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायक नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या भमिधारक है यदि वादीगण अपने वादपत्र में वर्णित अनुसार उत्तराधिकारीगण है अथवा नही इस स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा ही विस्तुत रूप से जांच कर जवाबदेही की जा सकती है। जिससे प्रतिवादी संख्या 02 उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां वादीगण के खातेदारी हक से दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावे तदनुरूप राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 के बजाय वादीगण के नाम पर बतौर खातेदारी हक दर्ज कराई जावें। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु के पश्चात् वादीगण ही काश्त करते चल आ रहे है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो वारिसान नही होने प्रकरण में कार्यवाही अबेट हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 मांगु, पीडब्ल्यू–02 लेहरू के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श–01,

ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श–02 के प्रस्तुत किये गये। वादीगण के गवाहों से जिरह पैरोकार सरकार द्वारा पूर्ण की गई।

वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु लाऔलाद होना अंकित किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 विवाहित था अथवा अविवाहित था का वादपत्र में अंकन नही किया गया और यदि प्रतिवादी संख्या 01 विवाहित था तो उसकी पत्नि कहां है जिवित है या उसकी पत्नि की मृत्यु हो चुकी है का भी अंकन नही किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू–01 व 02 ने अपनी जिरह में जाहिर किया गया है कि विवादित भूमि पर रामाजी व गोदा भील निवासी खटुकडा के कब्जे में है तथा उक्त भूमि रामाजी व गोदाजी को विक्रय कर दी गई तो हमारी जानकारी में नही है। यदि वादग्रस्त भूमि रामाजी व गोदाजी के कब्जे में तो वादीगण को कब्जे लेने हेतु उक्त दावें में सहायता मांगी जानी चाहिए और यदि भूमि उन्हे विक्रय की गयी हो तो उन्हे भी आवश्यक बनाया जाना चाहिए था किन्तु वादीगण द्वारा ना तो कब्जे की सहायता मांगी गयी है और कब्जा/विक्रय/रहन की स्थिति में रामाजी व गोदाजी आवश्यक पक्षकार होने पर भी उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादीगण अपने वादपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहे है।

अतः पक्षकार के अभाव में वादीगण अपने वादपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहने वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा